डांग विकास संस्थान करौली

द्वारा संचालित जिला प्रवासी संन्दर्भ केन्द्र

प्रवास पूर्व प्रशिक्षण रिपोर्ट

डांग विकास संस्थान द्वारा दिनांक 26.08.2025 परियोजना एम.आर.सी के निर्धारित लक्ष्य अनुसार जनसमुदाय को प्रवास से पूर्व आवश्यक जानकारी सतर्कता हेतु प्रवास पूर्व प्रशिक्षण **स्थान – गांव रानीपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली** में रखा गया।

- **प्रशिक्षक** :– 1. श्री राजेश शर्मा कार्यक्रम समन्वयक, 2. श्रीमती ज्योति शर्मा जिला समन्वयक 3. श्री राजेन्द्र माली 4.श्री भंवर सिंह 5. श्री सतीश मीना 6. सी.एच.ओ रानीपुरा स्वास्थ्य विभाग करौली
- **सहभागी** :– गांव रानीपुरा के जनसमुदाय से 15 महिला 25 पुरूष इस प्रकार कुल 40 लोगो ने प्रशिक्षण में भाग लिया।
- **समय :– दिनांक 26.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक**
- **उद्देश्य** :– सुरक्षित प्रवास हेतु प्रवासी मजदूरो को प्रवास से पूर्व प्रवास के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना, प्रवास के दौरान जरूरी सतर्कता, मजदूर अधिकारों व प्रवास के दौरान आपदा अन्य आपातकालीन स्थिति में हेल्प लाईन नम्बर व संबंधित सरकारी कार्यालयों की जानकारी देना।

प्रशिक्षण का विवरण

प्रशिक्षक :– श्री राजेश शर्मा कार्यक्रम समन्वयक डांग विकास संस्थान द्वारा डांग विकास संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक श्री राजेश शर्मा ने प्रशिक्षण का आरंभ करते हुए संस्थान के कार्यों से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि डांग विकास संस्थान कई वर्षों से प्रवासी मजदूर परिवारों, सिलिकोसिस पीड़ितों, विधवा महिलाओं और अन्य गरीब व पिछड़े समुदायों के लिए कार्य कर रहा है।

श्री शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि प्रवास पर जाने से पहले पूरी जानकारी रखना और सतर्क रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सलाह दी कि मजदूर जिस व्यक्ति के पास काम करने जा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी अपने परिवारजनों को देकर जाएं।

मध्यस्थता कानून (Mediation Law)

श्री राजेश शर्मा ने मध्यस्थता कानून के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि अक्सर कानूनी विवादों को सुलझाने में बहुत अधिक समय और पैसा खर्च होता है, जिससे मजदूर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इन परेशानियों से बचने के

लिए, सरकार ने यह कानून बनाया है। इस कानून के तहत, दो पक्ष मुकदमे के दौरान या उससे पहले, मिलकर एक व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त करके अपने विवाद को सुलझा सकते हैं। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि ऐसे मामलों में डांग विकास संस्थान करौली एक मध्यस्थ के रूप में मजदूर पक्ष की मदद करेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए डांग विकास संस्थान, करौली के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

कार्यस्थल पर सुरक्षा

श्री शर्मा ने प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर मजदूरों की सुरक्षा के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

1. **उपकरणों की जाँचः** काम में आने वाले उपकरणों की नियमित रूप से जाँच होनी चाहिए।
2. **बुनियादी सुविधाएँः** ठेकेदार या मालिक द्वारा स्वच्छ पीने के पानी, पर्याप्त हवा और रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणः** मजदूरों को काम के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों जैसे हेलमेट, दस्ताने, सुरक्षा जूते और मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए।
4. **आपातकालीन स्थितिः** आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता स्पष्ट और बाधा रहित होना चाहिए। हर मजदूर को आपातकालीन संपर्क नंबरों और नजदीकी अस्पताल की जानकारी होनी चाहिए

सी.एच.ओ रानीपुरा द्वारा प्रशासनिक ढाँचा के बारे में जानकारी प्रदान की गई :–

स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्तर स्थानीय स्तर पर होता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

जिला अस्पताल (District Hospital): यह जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होता है, जो विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Centre & CHC): ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को रेफरल सहायता देते हैं और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (Primary Health Centre & PHC): ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का पहला संपर्क बिंदु होते हैं। यहां बुनियादी चिकित्सा उपचार, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सेवाएं दी जाती हैं।

उप–केंद्र (Sub&Centre): यह सबसे छोटा और सबसे निचला स्वास्थ्य केंद्र है, जो PHC के अधीन काम करता है और गांवों में स्वास्थ्य सेवाएँ पहुंचाता है।

यह प्रशासनिक ढाँचा यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवाएँ एक सुव्यवस्थित तरीके से नागरिकों तक पहुँचें, जिसमें नीति–निर्माण से लेकर जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन तक शामिल है।

डांग विकास संस्थान करौली द्वारा रखा गया प्रवास पूर्व प्रशिक्षण

(आयुष-अन्तिमा नेटवर्क)

करौली (श्रीराम इंदौरिया)। डांग विकास संस्थान करौली द्वारा गांव रानीपुरा, तहसील मंडरायल, जिला करौली में प्रवास पूर्व प्रशिक्षण 26 अगस्त को रखा गया। प्रशिक्षण में डांग विकास संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक राजेश शर्मा द्वारा सुरक्षित प्रवास की जानकारी सभी सहभागियों को दी। राजेश शर्मा ने अवगत कराया कि डांग विकास संस्थान विगत कई वर्षों से श्रमिको, विधवा महिला एवं गरीब व वंचित परिवारो के लिए कार्य कर रही है। प्रशिक्षण में प्रवास पूर्व आवश्यक जानकारी, सतर्कता, सुरक्षित प्रवास एवं कार्यस्थल पर चिनौतियों व सुरक्षा के साथ-साथ केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभ के बारे में उपस्थित ग्रामीणो को बताया गया। डांग विकास संस्थान की टीम द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बीओसीडबल्यू, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, पालनहार योजना आदि योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। संस्थान की जिला समन्वयक ज्योति शर्मा ने मजदूर हेल्पलाईन नम्बर की जानकारी दी एवं प्रशिक्षण पश्चात आईईसी सामग्री का का वितरण किया गया। प्रशिक्षण में डांग विकास संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक राजेश शर्मा एवं जिला समन्वयक ज्योति शर्मा के साथ डांग विकास संस्थान की टीम व स्वास्थ्य विभाग से सीएचओ की उपस्थिति रही।

आयुष्मान कार्ड :–

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि यह गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रूपये तक का कैशलेस और मुफ्त इलाज देता है। यह कार्ड उन परिवारों को एक वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जो बीमारी के खर्चों के कारण गरीबी में जा सकते हैं।

यह कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना माना जाता है।

आयुष्मान कार्ड के मुख्य फायदे:

5 लाख रूपये का स्वास्थ्य कवर: इस योजना के तहत, हर साल प्रति परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। यह राशि एक परिवार के सभी सदस्यों के लिए होती है, यानी कोई भी इसका उपयोग कर सकता है।

कैशलेस इलाज: आयुष्मान कार्ड की मदद से सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलता है। आपको इलाज के लिए कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ता, सारा खर्च सरकार उठाती है।

पूरे भारत में पोर्टेबिलिटीः आप इस कार्ड का उपयोग भारत के किसी भी राज्य में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कर सकते हैं, भले ही आपका कार्ड किसी और राज्य में बना हो।

लगभग सभी बीमारियों का कवरेजः यह कार्ड 1,400 से अधिक बीमारियों और चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करता है, जिसमें कैंसर, हृदय रोग, और आपातकालीन उपचार जैसी गंभीर बीमारियाँ भी शामिल हैं।

प्री–और पोस्ट–हॉस्पिटलाइजेशन खर्चः अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और छुट्टी के बाद 15 दिनों तक के इलाज, दवाइयाँ और जाँच का खर्च भी इस योजना में शामिल है।

पहले से मौजूद बीमारियाँ कवरः इस योजना में पहले से मौजूद सभी बीमारियों का इलाज पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, जिसके लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होती।

आयुष्मान कार्ड का उपयोग करके गरीब और ज़रूरतमंद लोग बिना पैसों की चिंता किए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह उनके लिए जीवन बचाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

प्रशिक्षक :– श्रीमती ज्योति शर्मा जिला समन्वयक द्वारा परियोजना एम.आर.सी के बारे में सहभागियों के बताया कि डांग विकास संस्थान द्वारा परियोजना एम.आर.सी संचालित की जा रही है। जिसमें प्रवासी मजदूरो को सुरक्षित प्रवास सरकारी योजनाओं से जोडने हेतु घर–घर जाकर पंजीकरण किया जा रहा है साथ ही पात्र व्यक्तियो को संबंधित योजनाओं में आवेदन करवाकर लाभ दिलवाने में मदद की जा रही है। एम.आर.सी परियोजना में मजदूर सुरक्षा के केसों पर भी

कार्य किया जा रहा है। साथ में डांग विकास संस्थान परियोजना एम.आर.सी की टीम का परिचय सभी सहभागियों को दिया गया। श्रीमती ज्योति शर्मा द्वारा निम्न योजना की जानकारी दी गई :–

पालनहार योजना :–

पालनहार योजना उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्हें विशेष परिस्थितियों में देखभाल की आवश्यकता होती है। यह योजना निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों के लिए लागू होती है:

विधवा महिला के बच्चे

अनाथ बच्चे

सिलिकोसिस, एड्स या कुष्ठ रोग से पीड़ित पिता के बच्चे

विकलांग पिता के बच्चे

आजीवन कारावास काट रहे पिता के बच्चे

पुनर्विवाहित माता के अध्ययनरत बच्चे

प्रवास पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ के बारे में दी जानकारी

हिंडौन सिटी (दौसा गजट)। डांग विकास संस्थान करौली द्वारा मंगलवार को गांव रानीपुरा तहसील मंडरायल में प्रवास पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया।

इस दौरान डांग विकास संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक राजेश शर्मा ने सुरक्षित प्रवास की जानकारी देते हुए बताया कि डांग विकास संस्थान विगत कई वर्षों से श्रमिको, विधवा महिला एवं गरीब व वंचित परिवारों के लिए कार्य कर रही है एवं प्रवास पूर्व आवश्यक जानकारी, सतर्कता, सुरक्षित प्रवास एवं कार्यस्थल पर चुनौतियों व सुरक्षा के साथ-साथ केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभ के बारे में उपस्थित ग्रामीणो को बताया गया। डांग विकास संस्थान की टीम द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बीओसीडबल्यू, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, पालनहार योजना आदि योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

संस्थान की जिला समन्वयक ज्योति शर्मा ने मजदूर हेल्पलाईन नम्बर की जानकारी दी एवं प्रशिक्षण पश्चात आईईसी सामग्री का का वितरण किया गया।

कार्यक्रम में डांग विकास संस्थान की टीम व स्वास्थ्य विभाग से सीएचओ उपस्थित रही।

सिलिकोसिस सहायता योजना

यह योजना सिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

जाँच और प्रक्रिया:

कोई भी व्यक्ति जिसे सिलिकोसिस होने का संदेह हो, वह जनाधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर अपडेट करवाकर ई–मित्र के माध्यम से जाँच के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन की रसीद प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को जिला अस्पताल में जाँच की जाती है। यदि जाँच में सिलिकोसिस की संभावना पाई जाती है, तो रोगी को बोर्ड में बुलाया जाता है और उसके एक्स–रे को रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। पुष्टि होने पर, पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड किया जाता है।

लाभ:

इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:

सिलिकोसिस पेंशन: 1,500 रूपये प्रति माह।

बच्चों के लिए लाभः परिवार के सभी बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाता है। आर्थिक सहायताः जीवित रहते हुए 3 लाख रूपये और मृत्यु होने पर 2 लाख 10 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाती है, इस प्रकार कुल 5 लाख 10 हजार रूपयें की सहायता मिलती है।

3. ई–श्रम कार्ड

ई–श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है।
यह कार्ड धारकों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करता है।
इस कार्ड के लिए 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

डांग विकास संस्थान का प्रशिक्षण

मंडरायल | मंडरायल के रनीपुरा ग्राम पंचायत में डांग विकास संस्थान पूर्व प्रवास प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यक्रम किया गया। जिसमे समन्वयक राजेश शर्मा द्वारा सुरक्षित प्रवास की जानकारी सभी सहभागियों को दी गई। राजेश शर्मा ने बताया की डांग विकास संस्थान विगत कई वर्षों से श्रमिको, विधवा महिला एवं गरीब व वंचित परिवारों के लिए कार्य कर रही है। प्रशिक्षण में प्रवास पूर्व आवश्यक जानकारी,सतर्कता, सुरक्षित प्रवास एवं कार्यस्थल पर चुनौतियों से निपटने सहित स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा की जानकारी दी । योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभ के बारे में उपस्थित ग्रामीणों को बताया गया। डांग विकास संस्थान की टीम द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बीओसीडबल्यू, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, पालनहार योजना आदि योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। संस्थान की जिला समन्वयक ज्योति शर्मा ने मजदूर हेल्पलाइन नम्बर की जानकारी दी एवं प्रशिक्षण पश्चात आईईसी सामग्री का का वितरण किया गया। प्रशिक्षण में डांग विकास संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक राजेश शर्मा एवं जिला समन्वयक ज्योति शर्मा के साथ डांग विकास संस्थान की टीम व स्वास्थ्य विभाग से सीएचओ भी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षक :– श्री राजेन्द्र माली फिल्ड ऑफिसर द्वारा प्रशिक्षण सहभागियों को मजदूर हेल्प लाईन नम्बर की जानकारी दी गई। जिसमें किसी प्रवासी मजदूर को अगर कोई भुगतान ठेकेदार/मालिक द्वारा रोक दिया गया है या भुगतान करने से मना कर दिया है तो आप मजदूर हेल्प लाईन नम्बर पर या डांग विकास संस्थान के कार्मिक को केस दर्ज करवा सकते है जिसमें डांग विकास संस्थान के कार्मिक टीम द्वारा आपकी मदद की जाऐगी। संबंधित लेबर डिपार्टमेन्ट से सम्पर्क कर सहयोग किया जाऐगा। प्रवास पर जाने से पूर्व गांव के सरंपच/सैकेट्री को अपनी व प्रवास स्थान संबंधित व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। प्रवास पर अगर कोई व्यक्ति लेकर जा रहा है तो उसकी भी प्रथक से जानकारी दी जानी चाहिए। प्रवास पर उपलब्ध की कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में पूर्ण जानकारी पूर्व में ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस दौरान सहभागियों ने श्रमिक डायरी व ई–श्रम कार्ड व खाद सुरक्षा योजना के संबंध में प्रश्न पुछे गये। जिनका प्रतिउत्तर श्री राजेन्द्र माली द्वारा सहजता से व आसान शब्दों में समझाकर दिया गया। जिससे प्रतिभागी संतुष्ट हुए।

श्री सतीश मीना एवं श्री भवंर सिह जनसाथी महिला सहभागियों को महिला हेल्प लाईन नम्बर 180030002852 के बारे में अवगत कराया। इस संबंध में उनके द्वारा हेल्प लाईन नम्बर पर के केश पंजीकरण के बारे में समझाया गया। श्री भंवर सिंह जनसाथी द्वारा डांग विकास संस्थान के कार्यों के बारे में समझाया गया कि वर्तमान में डांग विकास संस्थान मजदूर एव आमजन के सहयोग हेतु कई परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। जिससे आम जनसमुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुगमता व आसानी हो रही है।

- **आईसीई सामग्री वितरण** :– प्रशिक्षण में आये सभी सहभागियों को श्री सतीश मीना एवं श्री भंवर सिंह द्वारा आईसीई सामग्री का वितरण किया गया। जिसमें ब्रोसर पम्पलेट आदि शामिल थे।
- **प्रशिक्षण परिणाम** :–

डांग विकास संस्थान द्वारा आयोजित कराये गये प्रवास पूर्व प्रशिक्षण से परियोजना में दिये गये लक्ष्य– जन समुदाय को प्रवास पूर्व प्रशिक्षण को प्राप्त करने में आसानी रहेगी तथा जन समुदाय तक सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर आसानी से पहुच बनाई जा सकती है। जन समुदाय के बीच डांग विकास संस्थान की सकारात्मक छवि बनेगी। जनसमुदाय को प्रवास पूर्व प्रशिक्षण से सुरक्षित प्रवास को बढावा मिलेगा। प्रवासी मजदूर को आपात स्थिति से निकलने में आसानी होगी।

प्रशिक्षण का मुल्यांकन :–

श्री राजेश शर्मा कार्यक्रम अधिकारी डांग विकास संस्थान करौली द्वारा सभी सहभागियो से प्रशिक्षण के संबंध में खुला सत्र रखा गया। जिसमें सहभागियों ने अपने प्रश्न व जिज्ञासाओं को प्रशीक्षकों से पूछा। प्रशिक्षकों को द्वारा सहज व आसान शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया गया। सभी महिला एवं पुरूष सहभागियों द्वारा डांग विकास संस्थान एवं टीम को धन्यवाद दिया गया व आगे भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु अनुरोध किया गया।

अन्त में श्री राजेश शर्मा कार्यक्रम अधिकारी डांग विकास संस्थान करौली द्वारा सभी प्रशिक्षकों व सहभागियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रशिक्षण का समापन किया गया।

डांग विकास संस्थान करौली

प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण कार्य योजना व विषय सूची

स्थान :– रानीपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली दिनांक :– 26.08.2025

समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.15 तक

क्रंसं	बिन्दु	समय	संदर्भ व्यक्ति
1	डांग विकास संस्थान का परिचय, मध्यस्थता कानून, न्यूनतम मजदूरी, कार्य स्थल पर सुरक्षा, व सुरक्षित प्रवास की जानकारी देना	20 मिनट	श्री राजेश शर्मा
2	परियोजना एम.आर.सी के बारे में जानकारी देना,टीम का परिचय देना, पीडीटी उद्वेश्य एवं महत्व की जानकारी देना, प्रवास पूर्व आवश्यक कार्यवाही, लेबर डिपार्टमेन्ट के बारे में जानकारी देना,	15 मिनट	श्रीमती ज्योति शर्मा
3	ठेकेदार/मालिक के साथ कार्य से पूर्व कार्यवाही कार्य स्थल पर सुरक्षा, सुविधाओं की जानकारी देना, मजदूर हेल्प लाईन के बारे में जानकारी देना,	15 मिनट	श्री राजेन्द्र माली
4	प्रवासी मजदूरों हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, पालनहार योजना ई–श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड योजनाओ की जानकरी देना पंजीकरण, आवेदन व लाभ के बारे में जानकारी देना।	15 मिनट	श्री भंवर सिह श्री सतीश मीना
5	आईसीई सामग्री की जानकारी व वितरण	10 मिनट	श्री भंवर सिह श्री सतीश मीना

प्रशिक्षण में उपस्थित सहाभागियों की सूची मय हस्ताक्षर

/

डांग विकास संस्थान करौली

Pre Departure Training Attendance Sheet

दिनांक 26/08/2025 स्थान– रानीपुरा ब्लॉक– मण्डरायल जिला– करौली राजस्थान कार्मिक नाम सतीश कुमार मीना

क.स.	सहभागी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	गांव	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1	दशरथ सिंह जादौन	जनार्दन सिंह	GE	रानीपुरा	9166782190	दशरथसिंह
2	सूरज गोस्वामी	कमलगिरी	OBC	रानीपुरा	9352767507	सूरज
3	रमेशचन्द्र जाटव	गजुआ	SC	रानीपुरा	7023395730	रमेश चन्द रातीव
4	रवि सैनी	हरिकिशन सैनी	OBC	रानीपुरा	9785899172	रवि सैनी
5	करण जाटव	सुरेश जाटव	SC	रानीपुरा	9895189733	करन
6	उदल जाटव	गोपाल जाटव	SC	रानीपुरा	8890287979	उदल जाटव
7	पप्पू जाटव	हरिया जाटव	SC	रानीपुरा	7878216043	[illegible]
8	अंकुश जाटव	रमेश जाटव	SC	रानीपुरा	8824020571	अंकुश
9	देवेन्द्र सिंह जादौन	राघवेन्द्र सिंह	GE	रानीपुरा	7878142892	देवेन्द्र सिंह
10	इशान खॉन	इस्माइल खॉन	OB.C	रानीपुरा	820992037	[illegible]
11	रामगोपाल कोली	भैरू कोली	SC	रानीपुरा	7727074776	रामगोपाल

<u>प्रशिक्षण में उपस्थित सहाभागियों की सूची मय हस्ताक्षर</u>

क.स.	सहभागी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	गांव	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
12	ओमी कोली	रतनू कोली	SC	रानीपुरा	8107750094	ओमी
13	राजाराम जाटव	रमेश जाटव	SC	रानीपुरा	8714421731	राजाराम
14	आकाश जाटव	सियाराम जाटव	SC	रानीपुरा	9784570005	आकाश जाटव
15	रणजीत जाटव	रामस्वरूप जाटव	SC	रानीपुरा	7742881307	रणजीत
16	दीपू जाटव	छोटे जाटव	SC	रानीपुरा	9950794128	दीपू जाटव
17	अजय जाटव	उमेश जाटव	SC	रानीपुरा	8890728256	अजय जाटव
18	इस्लाम खॉन	अताजलि खॉन	OBC	रानीपुरा	9636042231	इस्लाम खॉ
19	कैलाश जाटव	बनवारी जाटव	SC	रानीपुरा	8003910156	कैलाश जाटव
20	दीपेन्द्र धोबी	गिरीज धोबी	OB	रानीपुरा	9785442762	दीपेन्द्र
21	मुनेश जाटव	रामचरण जाटव	SC	रानीपुरा	9521353033	मुनेश जाटव
22	विशाल सिंह परमार	राघुराजसिंह परमार	GE	रानीपुरा	7568726027	विशालसिंह
23	गौरव सिंह चौहान	अशोक सिंह चौहान	GE	रानीपुरा	9660647557	गौरवसिंह
24	मुकेश जाटव	पन्नू जाटव		रानीपुरा	8955907884	मुकेश जाटव

प्रशिक्षण में उपस्थित सहाभागियों की सूची मय हस्ताक्षर

क.स.	सहभागी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	गांव	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
25	राजेन्द्र सिंह	बहादुर सिंह	GEN.	रानीपुरा	8890276628	
26	लज्जाबाई	डारिका जाटव	SC	रानीपुरा	7726073218	लज्जा
27	कृष्णा जाटव	उमेश जाटव	SC	रानीपुरा	9950109055	कृष्णा
28	लक्ष्मी जाटव	गोपाल जाटव	SC	रानीपुरा	8890287979	लक्ष्मी
29	सीमा जाटव	मुनेश जाटव	SC	रानीपुरा	7728809804	सीमा
30	हेमा जाटव	अशोक जाटव	SC	रानीपुरा	9358662094	हेमा
31	अनीता जाटव	राजकिशोर जाटव	SC	रानीपुरा	9358662094	अनीता
32	मीना कोली	पातीराम कोली	SC	रानीपुरा	9116145416	मी
33	डिस्ट्री कोली	स्व. मांगी कोली	SC	रानीपुरा	9116145416	डिस्ट्री
34	नर्वदा कोली	ओमी कोली	SC	रानीपुरा	8107750094	नर्वदा
35	मीना महावर	दयाराम महावर	SC	रानीपुरा	8287556732	मीना
36	लक्ष्मी कोली	रामलखन	SC	रानीपुरा	8107750094	लक्ष्मी
37	रामलता कोली	वकील	SC	रानीपुरा	8287556732	रामलता

<u>प्रशिक्षण में उपस्थित सहाभागियों की सूची मय हस्ताक्षर</u>

क.स.	सहभागी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	गांव	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
38	जूली सैन	छोटेराम	OBC	रानीपुरा	9048331021	जूली
39	हेमलता सैन	विष्णु सैन	OBC	रानीपुरा	7340259393	हेमलता
40	उर्मिला सैन	लालाराम	OBC	रानीपुरा	7300379860	उर्मिला
	महिला 15	पुरुष 25	कुल 40			

सतीश मीना — JS
राजेन्द्र माली — FO
भंवरसिंह — JS

आभादेवी
आशा सहयोगिनी